भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

03.03.2016 को राज्य सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 805

यूरेनियम के उत्खनन के लिए सुरक्षा मानक

805. श्री पी.एल. पुनिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में यूरेनियम के उत्खनन के लिए कोई सुरक्षा मानक निर्धारित किए हैं; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार मानवीय स्वास्थ्य पर यूरेनियम के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में खनन श्रमिकों को आगाह कराती है; और

(ग) क्या यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) यूरेनियम खनन कामगारों को रक्षात्मक औजार प्रदान करती है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) जी, हाँ।

(ख) भारत में यूरेनियम खनन के लिए लागू संरक्षा मानक, विभिन्न अधिनियमों, नियमावलियों एवं विनियमनों नामत:, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, विकिरण संरक्षण नियमावली 1971, परमाणु ऊर्जा (रेडियो अपशिष्टों का निरापद व्ययन) नियमावली 1987, खान अधिनियम 1952, खान नियमावली 1955, मेटेलीफैरस खान नियमन, 1961 आदि पर आधारित हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद एवं खान सुरक्षा महानिदेशालय जैसे वैधानिक नियामक निकायों को ऐसे मानकों को लागू करने की शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। "भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र" के 'स्वास्थ्य, संरक्षा एवं पर्यावरण ग्रुप' के अधीन कार्यरत "समर्पित स्वास्थ्य भौतिकी यूनिट एवं पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं" मानव स्वास्थ्य पर यूरेनियम के प्रभावों के संबंध में यूरेनियम खनन से जुड़े मजदूरों को आवधिक वैकिरणिकी संरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। खान संरक्षा संबंधी जागरूकता के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भी हैं।

(ग) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, खनन कार्य से जुड़े कार्मिकों को उनके कार्य से जुड़ी प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक संरक्षा उपकरण जैसे, संरक्षा जूते, डस्ट रेस्पिरेटर, हेलमेट, कैप लैम्पस्, दस्ताने आदि उपलब्ध कराता है।

*****